



16 $\frac{12}{25}$

पत्रावली पेश हुई। कुलाय उपस्थित।

वकील प्रार्थी ने प्रकरण में Not Press किया। वकील प्रार्थी ने प्रा. पत्र 0-23, R-1 CPC पेश किया। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र पर मनन के पश्चात् प्रा. पत्र 0-23, R-1 CPC स्वीकार किया जाकर पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति के साथ उक्त प्रार्थना पत्र जरिये विहवल खारिज किया जाता है। पत्रावली पेश शुमार लेकर नम्बर से कम हो।

NOT
Press
The Adm.

सहायक क्लर्क एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली